उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय
UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001

Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685137 **Fax :** +91-135-2685124

कार्यवृत्त

आज दिनांक 14 मई, 2025 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में चन्दोला होम्योपैथिक कॉलेज, रूद्रपुर में सत्र 2019– 20 से 2023–24 तक प्रवेशित एवं अध्ययन्रत छात्रों के प्रवेश, परीक्षा एवं परीक्षा परीणाम के सम्बन्ध में होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से आये अधिकारियो के साथ आहूत बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहें।

उपस्थिति–

1. डॉ0 मंगेश जतकर, सदस्य, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. डॉ0 अभिशेख डालमिया, कन्सलटैन्ट (परीक्षा), होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रो0 ओ0पी0 सिंह, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. श्री संजीव कुमार पाण्डेय, उप कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. डॉ0 एन0के0 दाधीच, नोडल सम्बद्धता अनुभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. डॉ0 अजय विश्वकर्मा, प्राचार्य, चन्दोला होम्योपैथिक कॉलेज, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

बैठक में सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गई एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गये:

1. शैक्षणिक सत्र 2020–21 में चन्दोला होम्योपैथिक कॉलेज, रूद्रपुर द्वारा बिना काउंसलिंग के प्रवेशित छात्रों के सम्बन्ध में सहमति बनी की विश्वविद्याल द्वारा आहूत परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित न किया जाए एवं आगामी परीक्षायें भी आहूत न की जाए। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित छात्रों एवं उनके अभिभावकों को भी सूचित किया जाए एवं सूचना को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड किया जाए।
2. शैक्षणिक सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2021–22 में संस्थान मे काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों की परीक्षा आहूत की जाए एवं उनके परीक्षा परिणाम घोषित किये जाए तथा जिन छात्रों को बिना काउंसलिंग के प्रवेश दिया गया है, के परीक्षा परिणाम एवं आगामी परीक्षायें भी सम्पादित न की जाए। उक्तानुसार सम्बन्धित सत्र के जिन छात्रों का प्रवेश मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है, के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. जिन सत्र के प्रवेश के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में विचाराधीन है, के सम्बन्धित पक्षकार मा0 न्यायालय में पैरवी कर प्रकरण का निस्तारण करायेगा।
4. शैक्षणिक सत्र 2022–23 एवं 2023–24 की परीक्षायें विश्वविद्यालय राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के वार्षिक परीक्षा सारणी (Calendar) के अनुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक का पद स्वीकृत नही है। अतः इस सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक का पद को स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

उक्तानुसार बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

14/05/25
(डॉ0 एन0के0 दाधीच),
नोडल सम्बद्धता अनुभाग,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
देहरादून

(संजीव कुमार पाण्डेय),
उप कुलसचिव,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
देहरादून

(प्रो0 ओ0पी0 सिंह),
प्रभारी परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
देहरादून

14/5/25
(डॉ0 अभिषेख डालमिया),
कन्सलटैन्ट (परीक्षा),
होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड,
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग,
आयुष मंत्रालय भारत सरकार,
नई दिल्ली।

14/5/25
(डॉ0 मंगेश जतकर),
सदस्य,
होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड,
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग,
आयुष मंत्रालय भारत सरकार,
नई दिल्ली

(रामजी शरण शर्मा)
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
देहरादून।

पत्रांकः 354 /उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2025–26 दिनांक 14 मई, 2025।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सम्बन्धित उपस्थित अधिकारी।
4. प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. नोडल सम्बद्धता अनुभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. प्राचार्य/अधीक्षक, चन्दोला होम्योपैथिक कॉलेज, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
7. वैब मैनेजर को इस आशय से प्रेषित की उक्त कार्यवृत्त को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(रामजी शरण शर्मा)
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner